



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त, 2019-भाद्र 8, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम

मुख्य अभियन्ता(योजना एवं रूपांकन)

जबलपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2019

क्र.-04-02/195/यो.रूपां./1712.—यह कि केंद्रीय सरकार के विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

अतः उपरोक्त में वर्णित पारेषण परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन के प्रायोजनार्थ मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचना जारी करती है:-

- (1) **नाम :** ये परियोजनायें 220 व 132 किलोवोल्ट (के. व्ही.) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.
- (2) **परियोजनाओं का विवरण :** परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-
 - (I) **220 के.व्ही. के कार्य :-**
 - (i) **पारेषण लाईनें :-**
 1. इटारसी 400 (पीजीसीआईएल) से बुधनी 220 के.व्ही डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-35 कि.मी. अनुमानित लागत-3130.00 लाख रु.
 2. 220 के.व्ही उपकेंद्र राजगढ़ (ब्यावरा) से 220 के.व्ही. उपकेंद्र नलखेड़ा (उन्नयन) तक 220 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2x62 कि.मी., अनुमानित लागत-4980.00 लाख रु.

3. 220 के.व्ही. उपकेंद्र बडोड से 220 के.व्ही. उपकेंद्र नलखेड़ा (उन्नयन) तक 220 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2x53 कि.मी., अनुमानित लागत-4428.00 लाख रु.
4. 400 के.व्ही. उपकेंद्र उज्जैन (प्रस्तावित) से 220 के.व्ही. उपकेंद्र नलखेड़ा (उन्नयन) तक 220 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2x78 कि.मी., अनुमानित लागत-7658.00 लाख रु.

(ii) नये उपकेंद्र की स्थापना :-

1. 132 के.व्ही. उपकेंद्र नलखेड़ा (जिला-शाजापुर) का उन्नयन कर 2x160+1x63 एमवीए क्षमता के नये 220 के.व्ही. उपकेंद्र की स्थापना, अनुमानित लागत-5698.00 लाख रु.

(iii) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :-

1. 220 के.व्ही. उपकेंद्र मालनपुर (जिला-भिण्ड) में 160 एमवीए 220/132 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-900.00 लाख रु.
2. 220 के. व्ही. उपकेंद्र पिपरिया (जिला-जबलपुर) में 160 एमवीए 220/132 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-900.00 लाख रु.
3. 220 के.व्ही. उपकेंद्र विदिशा (जिला-विदिशा) में 160 एमवीए 220/132 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-900.00 लाख रु.
4. 220 के.व्ही. उपकेंद्र सतना (जिला-सतना) में 160 एमवीए 220/132 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-900.00 लाख रु.
5. 220 के.व्ही. उपकेंद्र बड़नगर (जिला-उज्जैन) में 50 एमवीए 220/33 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना अनुमानित लागत-740.00 लाख रु.

(II) 132 के.व्ही. के कार्य :-

(i) 132 के. व्ही. पारिषण लाईनें :-

1. सुसनेर-जीरापुर, के 132 के.व्ही. लाईन के एक सर्किट को प्रस्तावित 220 के.व्ही. उपकेंद्र नलखेड़ा (उन्नयन) में लीलो कार्य, लंबाई-2x19 कि.मी., अनुमानित लागत- 1518.00 लाख रु.
2. उज्जैन-आगर, 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन के एक सर्किट को 132 के.व्ही. उपकेंद्र माकडोन में लीलो कार्य, लंबाई-2x29 कि.मी., अनुमानित लागत - 1739.00 लाख रु.
3. आगर-सुसनेर 132 के.व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट को 220 के.व्ही. नलखेड़ा (उन्नयन) पर लीलो कार्य, लंबाई-2x18 कि.मी., अनुमानित लागत - 1158.00 लाख रु.
4. मण्डला से डिण्डोरी 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-110 कि.मी. अनुमानित लागत-6974.00 लाख रु.
5. 220 के.व्ही. गोराबाजार से मनेरी तक 132 के.व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लंबाई- 24 कि.मी. अनुमानित लागत - 463.00 लाख रु.
6. 220 के.व्ही. शहडोल से डिण्डोरी तक 132 के.व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लंबाई-62 कि.मी. अनुमानित लागत-1372.00 लाख रु.

(ii) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :-

1. 132 के.व्ही. उपकेंद्र लटेरी (जिला-विदिशा) में 50 एमवीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-586.00 लाख रु.
2. 132 के.व्ही. उपकेंद्र उदयपुरा (जिला-रायसेन) में 50 एमवीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-586.00 लाख रु.
3. 132 के.व्ही. उपकेंद्र कटंगी (पनागर) (जिला-जबलपुर) में 50 एमवीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-586.00 लाख रु.
4. 132 के.व्ही. उपकेंद्र लवकुश नगर (जिला-छतरपुर) में 50 एमवीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-586.00 लाख रु.
5. 132 के.व्ही. उपकेंद्र उमरेठ (जिला-छिन्दवाड़ा) में 50 एमवीए 132/33 के.व्ही. क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-586.00 लाख रु.

(iii) ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि :-

1. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र हरदा (जिला-हरदा) में 40 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता के स्थान पर 63 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-473 लाख रु.
2. 132 के.व्ही उपकेन्द्र राधोगढ़ (जिला-गुना) में 40 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता के स्थान पर 63 एमव्हीए 132/33 के.व्ही. क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-473 लाख रु.

(III) फीडर बे :-**(i) 220 केवी फीडर बे :-**

इटारसी 400 (पीजीसीआईएल) (2), राजगढ़ (ब्यावरा) (2), बडोड 220 (2), उज्जैन (400) (2), कुल 08 नंबर, अनुमानित लागत - 2400 लाख रु.

(ii) 132 केवी फीडर बे :-

मण्डला (1), डिण्डोरी (2), शहडोल 220 (1), मनेरी (1), कुल 05 नंबर फीडर बे, अनुमानित लागत-500 लाख रु.

(IV) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :-

1. पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र देवास, जिला देवास को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र देवास से 132 के.व्ही. 2 फेस 4 वायर (डीसीडीएस) लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 1x0.2 कि.मी., अनुमानित लागत- 71.00 लाख रु.
2. मेसर्स नेपा लिमिटेड प्लान्ट के पुनरूत्थान एवं मिल डेव्लपमेंट के लिए प्रस्तावित 20 मेगावाट विद्युत भार हेतु 220 के.व्ही. उपकेन्द्र नेपा नगर से मेसर्स नेपा लिमिटेड प्लान्ट तक 132 के. व्ही. डी.सी.एस.एस. लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 1x2.7 कि.मी., अनुमानित लागत-779.00 लाख रु.

(V) कुल अनुमानित लागत :-

समस्त पूर्वोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 510.84 करोड़ है.

(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टॉवर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बंध में प्राप्त हैं.

(4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

एफ.डी. ठाकुर,

मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.),
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

(479-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रतिमा दुबे उर्फ प्रवीन देवी, प्रौन दुबे, प्रतिभा दुबे पत्नी श्री गौरीशंकर दुबे, निवासी मकान नं. 135, वार्ड नं. 13, गोपालदास मंदिर के पीछे सीधी (म.प्र.) मेरे पति सीआईएसएफ में कार्यरत हैं. मेरे पति की सेवा पुस्तिका में मेरा नाम प्रवीन देवी और प्रौन दुबे, प्रतिभा दुबे अंकित हो गया है. जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रतिमा दुबे है इसलिये मेरे पति की सेवा पुस्तिका में मेरा नाम प्रतिमा दुबे किया जावे. क्योंकि इसी नाम से मेरे सारे अभिलेख हैं.

पुराना नाम :

(प्रवीन देवी, प्रौन दुबे, प्रतिभा दुबे)

पत्नी श्री गौरीशंकर दुबे.

(477-बी.)

नया नाम :

(प्रतिमा दुबे)

पत्नी श्री गौरीशंकर दुबे.

नाम परिवर्तन

मैं, अजय दुबे उर्फ अरूण दुबे, पिता श्री गौरीशंकर दुबे, निवासी मकान नं. 135, वार्ड नं. 13, गोपालदास मंदिर के पीछे सीधी (म.प्र.) मेरे पिता सीआईएसएफ में कार्यरत हैं। मेरे पिता जी की सेवा पुस्तिका में मेरा नाम अरूण दुबे अंकित हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम अजय दुबे है इसलिये मेरे पिता जी की सेवा पुस्तिका में मेरा नाम अजय दुबे किया जावे। क्योंकि इसी नाम से मेरे सारे अभिलेख हैं।

पुराना नाम :

(अरूण दुबे)

पिता श्री गौरीशंकर दुबे.

(478-बी.)

नया नाम :

(अजय दुबे)

पिता श्री गौरीशंकर दुबे.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम घनश्याम शिवहरे पुत्र हरचरण शिवहरे के नाम से पुकारा जाता था। इसी नाम से मेरी एल. आई. सी. क्रमांक 202492204 की पॉलिसी में यही नाम अंकित था। अब मेरा परिवर्तित नाम अमरनाथ शिवहरे हो गया है। मेरे आधारकार्ड व वोटर कार्ड में भी इसी नाम का उल्लेख है। मैं भविष्य में अमरनाथ शिवहरे के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाऊंगा। अतः अब इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के पश्चात् अमरनाथ शिवहरे के नाम से पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(घनश्याम शिवहरे)

(480-बी.)

नया नाम :

(अमरनाथ शिवहरे)

पुत्र श्री हरचरण शिवहरे,
निवासी-सील नगर, धर्मपाल की दुकान के पास,
चार शहर का नाका, हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रूपेश जैन पुत्र स्व. श्री कैलाशचंद जैन, 14-दुर्गापुरी तानसेन रोड, ग्वालियर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पेनकार्ड में मेरा नाम ROOPESH JAIN अंकित हो गया है। जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम RUPESH JAIN हैं। मेरे द्वारा अपने पेनकार्ड को संशोधित कराकर अपना नाम RUPESH JAIN करा लिया गया है। अतः भविष्य में मुझे RUPESH JAIN के नाम से ही जाना पहचाना एवं समझा जावे।

पुराना नाम :

(ROOPESH JAIN)

(481-बी.)

नया नाम :

(RUPESH JAIN)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे शपथकर्ता राजेन्द्र कुमार अरोरा पुत्र स्व. श्री गिरधारी लाल अरोरा, द्वारा आपकी बीमा कम्पनी में दो पॉलिसी क्र. 204205102 शाखा क्र. 3, तानसेन रोड, ग्वालियर एवं 350482589 शाखा क्र. 2 सिटी सेन्टर, ग्वालियर कराई गई थी। जिसमें मेरा नाम राजेन्द्र कुमार चचड़ा त्रुटिवश लिखा गया है। जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में पेनकार्ड, आधारकार्ड आदि एवं दस्तावेजों में राजेन्द्र कुमार अरोरा लिखा है। अतः भविष्य में मुझे सभी सरकारी, गैर सरकारी दस्तावेजों में राजेन्द्र कुमार अरोरा पुत्र स्व. श्री गिरधारी लाल अरोरा के नाम से ही जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(राजेन्द्र कुमार चचड़ा)

पुत्र-स्व. श्री गिरधारी लाल.

(482-बी.)

नया नाम :

(राजेन्द्र कुमार अरोरा)

पुत्र स्व. श्री गिरधारी लाल अरोरा,
पता-हनुमान नगर, फालका बाजार,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम हरवीर जाटव S/o बंशीलाल है, अब मैं अपना नाम जय मंडलोई (Jai Mandloi) S/o बंशीलाल कराना चाहता हूँ अतः मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(हरवीर जाटव)
S/o बंशीलाल.

नया नाम :
(जय मंडलोई)
(JAI MANDLOI)
S/o बंशीलाल,
पता-110, बार्ड नं. 07, ग्राम टकनेरा,
पोस्ट म्याना, जिला गुना (म.प्र.).

(483-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में नाम जयेश कुशवाह लिख गया है. मैं, उसका नाम बदलकर रिषभ कुशवाह कराना चाहती हूँ अतः मेरे पुत्र को जयेश कुशवाह के स्थान पर रिषभ कुशवाह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

कविता कुशवाह,
पत्नी-देवेन्द्र कुशवाह,
पता-ग्राम नागोर बार्ड नं. 66,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(484-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता श्री दिनेशचंद्र जैन द्वारा एक भारतीय जीवन बीमा में पॉलिसी क्र. 200048329 कराई गई थी. जिसमें मेरा नाम सानू जैन लिखा दिया गया था. जो गलत है. जबकि मेरा सही नाम अनुराग जैन पुत्र दिनेशचंद्र जैन है जो सही है. मेरी उक्त पॉलिसी में मेरा सही नाम अनुराग जैन पुत्र श्री दिनेशचंद्र जैन अंकित किया जावे. यही नाम मेरे सभी दस्तावेजों जैसे मार्कशीट, आधारकार्ड, बैंक पासबुक आदि में अंकित है.

पुराना नाम :
(सानू जैन)
पुत्र दिनेशचंद्र जैन.

नया नाम :
(अनुराग जैन)
पुत्र दिनेशचंद्र जैन,
दिनेश टेन्ट हाउस, रामबाग बस्ती के पास,
शिन्दे की छावनी, लशकर, ग्वालियर.

(485-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम रिषिका परमार था. जिसके नाम से मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम में तीन पॉलिसी कराई थीं, जिनका पॉलिसी क्रमांक 203156516, 203156668 एवं 2031156669 है. अब मैंने अपनी पुत्री का नाम ग्लोरी परमार रख लिया है और उसके सभी दस्तावेजों जैसे आधारकार्ड, अंकसूची आदि में भी यही नाम अंकित है तथा मेरी पुत्री को उसके सही नाम ग्लोरी परमार के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

शिल्पी परमार,
पत्नी-श्री अभिषेक परमार,
पता-46-A, न्यू शांतिनगर,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(486-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में संगीता जैन था. जिसे मैंने परिवर्तन करके पी.एच.डी. डिग्री के अनुसार एवं अन्य दस्तावेजों के अनुसार डॉ. संगीता मालू कर लिया गया है, अब मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी तथा मेरे द्वारा उपरोक्त नाम डॉ. संगीता मालू का ही उपयोग समस्त दस्तावेजों लेखों, अभिलेखों में किया जावेगा.

पुराना नाम :
(संगीता जैन)

नया नाम :
(संगीता मालू)

(487-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कु. शैलजा गौर पिता श्री विष्णु प्रसाद गौर की दसवीं की अंकसूची में मेरा नाम विष्णु गौर अंकित है जबकि मेरा सही व पूरा नाम विष्णु प्रसाद गौर है जो कि मेरे सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अंकित है। अतः मेरी पुत्री कु. शैलजा गौर दसवीं की अंकसूची एवं समस्त दस्तावेजों में जहां भी मेरा नाम विष्णु गौर दर्ज हो उसे विष्णु प्रसाद गौर लिखा पढ़ा व समझा जावे।

(विष्णु प्रसाद गौर)

पिता-श्री लक्ष्मीनारायण गौर,
पता-1144, द्वारकापुरी, रिलेक्सी गार्डन के पीछे,
इन्दौर (म.प्र.).

(488-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम चंद्रकान्त दोंदरिया पिता श्री हरिप्रसाद दोंदरिया था, अब वर्तमान में सभी संदर्भ में मेरा नाम चंद्रकान्त शर्मा पढ़ा व जाना जावे।

पुराना नाम :

(चंद्रकान्त दोंदरिया)

नया नाम :

(चंद्रकान्त शर्मा)

F/3, शासकीय इंजी. महाविद्यालय परिसर,
सांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.).

(495-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक साहू उर्फ लीलाकिशन पुत्र श्री शिवलाल साहू, निवासी ग्राम-खजूरी कलां, तहसील हुजूर, भोपाल का घर का नाम लीलाकिशन होकर मेरे नाम की भूमि के खसरे व भू-अधिकार ऋण पुस्तिका में अंकित है एवं मेरे शासकीय दस्तावेजों व अंकसूचियों में मेरा नाम अशोक साहू अंकित है उक्त दोनों नाम स्वयं के होकर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं एवं मैं अशोक साहू उर्फ लीलाकिशन पुत्र श्री शिवलाल दोनों नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ।

पुराना नाम :

(लीलाकिशन)

नया नाम :

(अशोक साहू)

निवासी-236, खजूरी कला, पिपलानी,
हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(496-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप शर्मा पुत्र नन्दकिशोर शर्मा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का बचपन का बोलता नाम आदित्य शर्मा पुत्र श्री संदीप शर्मा है जो मेरे पुत्र की बीमा पॉलिसी क्रमांक 203121618 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मेरे पुत्र का नाम आर्यमन शर्मा पुत्र श्री संदीप शर्मा है एवं वह इसी नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है और आदित्य शर्मा एवं आर्यमन शर्मा मेरे ही पुत्र के नाम हैं। अतः मेरे पुत्र की बीमा पॉलिसी क्रमांक 203121618 एवं अन्य प्रपत्रों में बचपन का नाम आदित्य शर्मा जो गलती से लिखा गया है उसके स्थान पर आर्यमन शर्मा पुत्र श्री संदीप शर्मा लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

संदीप शर्मा,

पता-74, विनय नगर सेक्टर-4,
ग्वालियर (म.प्र.).

(497-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार कुशवाह पुत्र श्री देवीराम कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बचपन का नाम अशोक कुमार पुत्र श्री देवीराम कुशवाह था जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में अंकित है। जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम अशोक कुमार कुशवाह पुत्र श्री देवीराम कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे अशोक कुमार कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम अशोक कुमार कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा। अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम अशोक कुमार कुशवाह अंकित किया जाए। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(अशोक कुमार)

नया नाम :

(अशोक कुमार कुशवाह)

निवासी-गोल पहाड़िया भूमिया पुरा ए.बी.रोड,
ग्वालियर (म.प्र.).

(498-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी नारायण कुशवाह पुत्र श्री दाताराम कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री दाताराम कुशवाह था. जो मेरी बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में अंकित है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम लक्ष्मी नारायण कुशवाह पुत्र श्री दाताराम कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे लक्ष्मी नारायण कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम लक्ष्मी नारायण कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम लक्ष्मी नारायण कुशवाह अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(लक्ष्मी नारायण)

नया नाम :
(लक्ष्मी नारायण कुशवाह)
निवासी-एक्ता कॉलोनी लक्कड़ खाना,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(499-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में हमारा नाम मनोहर लाल पुत्र कन्हैया लाल लिखा हुआ है, जबकि मेरे अभी के समस्त दस्तावेजों (आधारकार्ड व पैनकार्ड) में हमारा पूरा नाम उपनाम सहित मनोहर लाल चौधरी पुत्र कन्हैया लाल चौधरी लिखा हुआ है. अतः अब से सभी शासकीय-अशासकीय व सर्विस रिकॉर्ड में हमें हमारे उपनाम सहित मनोहर लाल चौधरी पुत्र कन्हैया लाल चौधरी से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(मनोहर लाल)
पुत्र-कन्हैया लाल.

नया नाम :
(मनोहर लाल चौधरी)
पुत्र-कन्हैया लाल चौधरी,
125, श्री नगर एक्सटेंशन,
इन्दौर (म.प्र.).

(503-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे नाम की सही स्पेलिंग Hitesh Kumar Carpenter S/o Bhishm Prakash and Chandra Kanta है, किन्तु मेरे अलग-अलग दस्तावेजों में हमारे नाम की स्पेलिंग अलग-अलग लिखी हुई है, जैसे Hitesh Kumar Carpenter S/o Bhishama Prakesh (10th) एवं Hitesh Kumar Carpenter S/o Bhishna Prakash Carpenter and Chandra Kanta Carpenter (12th) एवं Hitesh Kumar Carpenter S/o Bhishama Prakash ji (Service Record) में लिखी हुई है, जबकि मेरे अन्य सभी दस्तावेज जैसे-आधारकार्ड में हमारे नामों की सही स्पेलिंग लिखी हुई है. अतः अब से सभी शासकीय अशासकीय व सर्विस रिकॉर्ड में हमे हमारे नाम की सही स्पेलिंग Hitesh Kumar Carpenter S/o Bhishm Prakash and Chandra Kanta से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(HITESH KUAMR CARPENTER)
S/o Bhishama Prakesh.

नया नाम :
(HITESH KUMAR CARPENTER)
S/o Bhishm Prakash and Chandra Kanta,
416, प्रिमियम पार्क, अरबिंदो अस्पताल के सामने,
सांवेर रोड, इन्दौर (म.प्र.),

(504-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मिनी सूसन इसदौर (Smt. MINI SUSAN ISADORE) सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में म्यूच्यूल फण्ड क्रय किए गए थे. जिसका फोलियो नंबर-171016886 है. जिसमें मेरा नाम सूसन इसदौर (SUSAN ISADORE) अंकित है मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, वोटरकार्ड, पासपोर्ट, नगर पालिका निगम इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती मिनी सूसन इसदौर पत्नी श्री एम. इसदौर (Smt. MINI SUSAN ISADORE W/O M. ISADORE) लिखा हुआ है. मैं वर्तमान में श्रीमती मिनी सूसन इसदौर पत्नी श्री एम. इसदौर (Smt. MINI SUSAN ISADORE W/O M. ISADORE) के नाम से जानी, पहचानी एवं

पुकारी जाती हूँ अतः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूच्यूल फण्ड जिसका फोलिओ नंबर-171016886 में मेरा नाम सूसन इसदौर (SUSAN ISADORE) के स्थान पर श्रीमती मिनी सूसन इसदौर (Smt. MINI SUSAN ISADORE) किया जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :
(सूसन इसदौर)

(507-बी.)

नया नाम :

(मिनी सूसन इसदौर)
मकान नंबर-34, सौम्य विहार, फेज-1,
खजुरी कलां पिपलानी, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, राम गोपाल सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका एल क्रमांक ए-227321 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम गोपाल पुत्र श्री बाबूलाल लिखा हुआ है। मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पेनकार्ड, आधारकार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, वोटरकार्ड, नगर पालिका निगम इत्यादि में मेरा नाम राम गोपाल पुत्र श्री बाबूलाल लिखा हुआ है। और मैं भविष्य में भी राम गोपाल पुत्र श्री बाबूलाल के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। गोपाल एवं राम गोपाल एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मेरी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका एल क्रमांक ए-227321 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राम गोपाल पुत्र श्री बाबूलाल अंकित किया जाये, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :
(गोपाल)

(508-बी.)

नया नाम :

(राम गोपाल)
म. नं.-132, जीए, बरखेड़ा पठानी,
बरखेड़ा, एच.ई., भोपाल (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अनुराग राठौर पिता मिट्टू कुमार राठौर था, जो कि मेरा बोलता नाम था, जबकि मैंने अपना नाम बदलकर अनु राठौर (ANU RATHORE) पति प्रणव राठौर रख लिया है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। अतः भविष्य में मुझे मेरे नाम अनु राठौर (ANU RATHORE) पति प्रणव राठौर से ही जाना, पहचाना, लिखा पढ़ा व बोला जाए, सो विदित हो।

पुराना नाम :
(अनुराग राठौर)
पिता मिट्टू कुमार राठौर

(511-बी.)

नया नाम :

(अनु राठौर)
पति प्रणव राठौर,
नि. 1/3, रावजी, बाजार, जुनी इन्दौर,
इन्दौर (म.प्र.)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 72 के अधीन सूचना पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है की M/S SHAFEEQ AHMED CONSTRUCTION COMPANY फर्म पंजीयन क्र. 122, दिनांक 02/02/2002 के 3 भागीदारों SHRI SHAFEEQ AHMED S/O SHRI ABDUL AZIZ, SHRI ADIL AHMED S/O SHRI SHAFEEQ AHMED एवं SMT. NOORJAHAN D/O SHRI ANWAR AHMED में से भागीदार SHRI ADIL AHMED S/O SHRI SHAFEE Q AHMED फर्म की भागीदारी से दिनांक 31-03-2019 से पृथक हो गये हैं तथा फर्म की भागीदारी में दिनांक 31-03-2019 से SHRI ABDUL AHAD AHMED S/O SHRI SHAFEEQ AHMED सम्मिलित हो गये हैं वर्तमान में भागीदार SHRI SHAFEEQ AHMED S/O SHRI ABDUL AZIZ, SHRI ABDUL AHAD AHMED S/O SHRI SHAFEEQ AHMED एवं SMT. NOORJAHAN D/O SHRI ANWAR AHMED द्वारा फर्म संचालित रहेगी।

(489-बी.)

M/s Shafeeq Ahmed Construction Company,
NOORJAHAN,
(Partner)
2, Masjid Nishat Afza, Near Water Tank,
Nariyalkheda, Bhopal (M.P.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स स्वामी किसान सेवा केंद्र पता-खुजरार, चक्करघुनाथपुर, तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा मध्यप्रदेश जो की भागीदारी संस्था थी, उक्त संस्था से दिनांक 06-04-2019 को श्रीमती सोनिका ताम्रकार सिंह स्वेच्छा से पृथक हो गयी है। तदुपरांत अब वर्णित संस्था श्री अजय कटारे की प्रोप्राईटर संस्था हो गयी है। इस पर किसी को कोई भी आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर सूचित करें।

मैसर्स स्वामी किसान सेवा केंद्र,

आकाश कटारे,

(भागीदार)

पता-ग्राम खुजरार, तहसील गुलाबगंज,

जिला विदिशा (म.प्र.).

(490-बी.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स आरव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलोपर्स जिसका पंजीयन फर्म एवं संस्थाये भोपाल में प्र. क्र. 01/01/01/0527/17, दिनांक 20-03-2017 के साझेदार श्री राहुल रंगारे एवं श्री आनंद शेन्डे के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है। मेसर्स आरव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलोपर्स जिसमें कि दिनांक 26-06-2019 को आपसी सहमति से साझेदारी फर्म का विघटन DISSOLUTION विलेख निष्पादित किया गया है यदि कोई व्यक्ति संस्था, बैंक आदि फर्म से किसी प्रकार का संव्यवहार करते हैं तो उसका दायित्व फर्म एवं साझेदारों का नहीं होगा।

एन. के. साहू,

(अधिवक्ता)

एफ-9, एलाईड काम्पलेक्स, मोती मस्जिद के सामने

भोपाल (म.प्र.).

(491-बी.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स ओम साईनाथ इंटरप्राईजेस जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाये भोपाल में पंजीयन क्र. 01/01/01/00376/2014, दिनांक 25-11-2014 के साझेदार (1) विजय गौर, (2) मनोज कुमार जायसवाल, (3) पंकज जायसवाल के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया मेसर्स ओम साईनाथ इंटरप्राईजेस में दिनांक 09-02-2019 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया जिसमें श्री मनीष शिवहरे पुत्र श्री ओमप्रकाश शिवहरे निवासी मं. नं. 206 वार्ड नं. 05, ग्राम गौरा चिरैया, तहसील माधौगड, जिला जालौन उत्तरप्रदेश को भागीदार के रूप में सम्मिलित / शामिल किया है उक्त साझेदार भागीदार क्र. 04 कहलायेगा उक्त भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे।

एन. के. साहू,

(अधिवक्ता)

एफ-9, एलाईड काम्पलेक्स, मोती मस्जिद के सामने

भोपाल (म.प्र.).

(492-बी.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीजी एसोसिएट्स जिसका पता-राम कृष्ण आश्रम, बाला बाई का बाजार, लश्कर ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 22-07-2004 पर पंजीकृत है जिसमें दिनांक 23-06-2010 को (1) श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री विनोद चंद जैन, निवासी-ए-8, बसंत विहार, ग्वालियर, (2) मैसर्स पचमेरू स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी डायरेक्टर श्रीमती बवीता जैन पत्नी श्री मुकेश जैन निवासी-ए-8, बसंत विहार, ग्वालियर, फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 20-04-2012 को भागीदार (1) श्री दिनेश चन्द्र बंसल पुत्र स्व. श्री वासुदेव प्रसाद बंसल, निवासी ग्वालियर, (2) सुनील रोहिरा पुत्र श्री गंगाराम रोहिरा, निवासी- ग्वालियर, (3) रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. श्री नारायण दास अग्रवाल, दर्जी ओली, ग्वालियर, (4) सुधा गुप्ता पत्नी श्री पुरोषोत्तम गुप्ता, निवासी-नया बाजार, ग्वालियर, (5) राकेश अग्रवाल पुत्र श्री रामप्रकाश अग्रवाल निवासी-रंजीत नगर, कानपुर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है।

मैसर्स श्रीजी एसोसिएट्स,

मुकेश कुमार जैन,

(भागीदार)

पता-बाला बाई का बाजार,

ग्वालियर (म.प्र.).

(493-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भोपाल एवं उससे लगे पांच जिलों (भोपाल, रायसेन, धार, इंदौर, सिहोर) में पूर्व में साई सिक्कूरिटी एजेंसीज लाइसेंस न. 147 दिनांक 31-01-2011 से संचालन किया जा रहा था परन्तु समान नाम कि एजेंसी पूर्व से पंजीकृत होने के कारण निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 में निहित प्रावधान अनुसार शासन द्वारा आपत्ति दर्ज होने के कारण पूर्व नाम साई सिक्कूरिटी एजेंसीज विलोपित कर नया नाम स्कोप सिक्कूरिटी एजेंसी रखा गया है अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो पूर्ण साक्ष्य के साथ 07 दिनों के अन्दर संपर्क करे.

स्कोप सिक्कूरिटी एजेंसीज

सुमन कुमार,

पता-शॉप नं. 7, हाडसिंग बोर्ड शोपिंग काम्प्लेक्स,
शाहपुरा मस्जिद के पास, इ-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

(494-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री माँ एसोसिएट में फर्म की भागीदारी है. जिसका पंजीयन क्रमांक 05/22/03/0046/16, पता- गांव सूजी, थाना लौर, तहसील मऊगंज, रीवा मध्यप्रदेश है. यह कि फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुए पार्टनर नं. 1. श्री अभिषेक बहेती दिनांक 08-08-2019 से अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हो गए है. जिसका उक्त दिनांक 08-08-2019 से फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है. उक्त फर्म में नए भागीदारी के रूप में पार्टनर, नं. 3 नविन कुमार पाण्डेय और वर्तमान पार्टनर, नं. 4 दीपनारायण पाण्डेय जो फर्म के भागीदार के रूप में 08-08-2019 से शासित हो गये हैं. अतः यह भागीदार यथावत रहेंगे.

मैसर्स माँ एसोसिएट,

दीपनारायण पाण्डेय,

(भागीदार)

पता-थाना लौर, तहसील-मऊगंज,

रीवा (म.प्र.).

(500-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ए.ओ.पी. इन्टरप्राइजेज का पंजीयन क्र. 10, दिनांक 12-04-1993 जो 11, महारानी रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश में स्थित है जिसमें दिनांक 01-04-1995 में श्री योगेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01-04-1995 को फर्म मैसर्स दुलारा टोबको प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड, सागर द्वारा मेनेजर अनूप कुमार जैन फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. दिनांक 29-07-2005 को भागीदार श्री प्रकाश चन्द्र जैन पुत्र श्री खेमचन्द्र जैन की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं दिनांक 01-04-2014 को भागीदार फर्म मैसर्स दुलारा टोबको प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड सागर द्वारा मेनेजर अनूप कुमार जैन भागीदारी फर्म से अपनी स्वेच्छा अनुसार फर्म से पृथक् हो रहे है. एवं दिनांक 01-04-2019 को भागीदार श्रीमती सरोज रानी जैन पत्नी श्री प्रकाश चन्द्र जैन एवं अभय कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स ए.ओ.पी. इन्टरप्राइजेज,

अनूप कुमार जैन,

(भागीदार)

पता-महारानी रोड,

इन्दौर (म.प्र.).

(501-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म अमृतधारा डेवलपर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था जिसका प्रमाण-पत्र क्रमांक 01/01/01/00505/14, दिनांक 28-02-2014 था जिसका कार्यालय पूर्व में शॉप नं. 2, सैकण्ड प्लोर, अलार्क कॉम्प्लेक्स, लालघाटी स्कवायर, भोपाल था जो कि वर्तमान में स्थानान्तरित होकर ए-110, कृष्णाचल अपार्टमेंट, परि बाजार, भोपाल गेट के पास भोपाल हो गया है साथ ही उपरोक्त फर्म से निम्न पार्टनर क्रमशः (1) सुनील कुमार जैन आ. श्री देवचन्द्र जैन, निवासी- रघुनाथगंज पोस्ट ऑफिस के सामने, कटनी मध्यप्रदेश, (2) श्रीमती सरिता जैन पत्नी श्री सुनील कुमार जैन, निवासी-रघुनाथगंज, पोस्ट ऑफिस के सामने, कटनी मध्यप्रदेश व (3) चन्द्रप्रकाश लालवानी आ. स्व. श्री दयाराम लालवानी, निवासी-53, बी.डी.ए. कॉलोनी, टीलाजमालपुरा, भोपाल मध्यप्रदेश रिटायर्ड हो चुके हैं

और दिनांक 01-04-2016 से अन्य दो पार्टनर क्रमशः (1) राजकुमार जैन आ. श्री तेज कुमार जैन निवासी-127, जैन नगर, लालघाटी, भोपाल मध्यप्रदेश एवं (2) चिराग सिंघई आ. श्री चन्द्रकुमार सिंघई निवासी-54, गिरधर नगर, तिलक नगर के पास, इंदौर, मध्यप्रदेश फर्म में सम्मिलित हुए हैं। यह आमसूचना फर्म के नये पते या पुराने तीनों पार्टनरों के रिटायर्ड होने और दो अन्य नये पार्टनरों के फर्म में सम्मिलित होने के संबंध में प्रकाशित किया जा रहा है।

मैसर्स अमृतधारा डेवलपर्स,
संदीप कुमार जैन, द्वारा
(सह भागीदार).

(502-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स गोधा रियलटीज जिसका पता-1, संत मार्ग, गांधी नगर, हातोद इन्दौर मध्यप्रदेश एवं रजिस्ट्रेशन क्रमांक 03/27/05/0049/17, दिनांक 16-05-2017 से एक भागीदारी फर्म है। उक्त भागीदारी फर्म में 1. श्री विनोद गोधा, 2. श्री मयूर गोधा, 3. श्री मनीष गोधा एवं 4. श्रीमती प्रभा गोधा भागीदार थे। जिसमें से दिनांक 01-04-2019 को श्री मयूर गोधा जी फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं।

मैसर्स गोधा रियलटीज,
मनीष गोधा,
(भागीदार).

(505-बी.)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे. जय माँ भद्रकाली कामतानाथ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पारवा पता- पारवा, पोस्ट-बौदिनी, तहसील-राजनगर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश का पंजीयन सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसायटी सागर द्वारा पं. क्र. 06/12/02/00045/09, सन् 2009-2010, दिनांक 08-09-2009 से किया गया है। फर्म में अभी तक भागीदार श्री 1. दीप प्रकाश द्विवेदी तनय श्री सूरज प्रसाद द्विवेदी, निवासी-संध्या विहार, कालोनी, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश, 2. श्रीमती ऊषा द्विवेदी पत्नी श्री दीप प्रकाश द्विवेदी, निवासी-संध्या विहार, कालोनी, छतरपुर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश, 3. लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा तनय श्री रामधीन मिश्रा, निवासी-ग्राम-पारवा, पोस्ट बौदिनी, तहसील-राजनगर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश, 4. श्रीमती सावित्री मिश्रा पत्नी श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा, निवासी-ग्राम-पारवा, पोस्ट-बौदिनी, तहसील-राजनगर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश है। लेकिन श्री लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा एवं श्रीमती सावित्री मिश्रा ने स्वेच्छा से अपने कार्यों की व्यस्तता के कारण फर्म से लेन-देन का पूरा हिसाब कर भागीदारी की शर्त अनुसार विधिवत् नोटिस एवं फर्म की रचना में परिवर्तन के प्रारूप 5 में दिनांक 24-06-2019 को अपने हस्ताक्षर कर फर्म से भागीदार समाप्त कर ली है। तथा फर्म में नये भागीदार 1. अनुभव द्विवेदी तनय श्री दीप प्रकाश द्विवेदी निवासी-संध्या विहार कालोनी, छतरपुर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश एवं 2. आदर्श द्विवेदी तनय श्री दीप प्रकाश द्विवेदी निवासी-संध्या बिहार कालोनी, छतरपुर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश दिनांक 24-06-2019 को सम्मिलित हुये हैं।

अतः आज दिनांक तक किसी व्यक्ति या फर्म का मे. जय माँ भद्रकाली कामतानाथ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पारवा पता-ग्राम-पारवा, पोस्ट-बौदिनी, तहसील-राजनगर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें। इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा।

मे. जय माँ भद्रकाली कामतानाथ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पारवा
अनुभव द्विवेदी,
(भागीदार)

पता- पारवा, पोस्ट-बौदिनी, तहसील-राजनगर,
जिला-छतरपुर (म.प्र.).

(506-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ए.ए.एन. इंफ्रास्ट्रक्चर्स पंजीयन क्रं. 01/06/01/0318/16, जवाहर वार्ड बाबू चौक गंज बैतूल मध्यप्रदेश के भागीदारी बिलेख में परिवर्तन किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है श्री नीलेश पुत्र श्री प्रेमचंद अग्रवाल उम्र 45 वर्ष जवाहर वार्ड बाबू चौक गंज, बैतूल मध्यप्रदेश को दिनांक 31 जुलाई, 2019 से आपसी सहमति से निर्वत किया जाता है एवं भागीदारी फर्म का पंजीकृत कार्यालय में भी परिवर्तन किया जाता है, नया कार्यालय का पता अभिषेक अग्रवाल सदगुरु निवास मकान क्र. 66 इंदिरा वार्ड-22, पूजा हॉस्पिटल के बाजू में गांधी नगर बैतूल गंज, बैतूल मध्यप्रदेश होगा अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म में निद्रत भागीदार से फर्म संबंधी कोई लेन-देन वाद-विवाद अथवा किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति शासकीय या अशासकीय

संस्था बैंक या अन्य किसी संस्था जिसमें हित प्रभावित होता हो तो वह सूचना प्रकाशन से 07 दिन के भीतर मय दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत करें। अथवा उक्त समय अवधि के पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार फर्म पर बंधनकारी नहीं है। अथवा शून्य मानी जाएगी।

(509-बी.)

अशोक सिंह ठाकुर,
(अधिवक्ता)
पता-दादाकुटी के पास,
रब्रंजनकपुर, बैतूल.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/00066/14, दिनांक 01 जुलाई, 2014 है जो ईएच 7, डीडी नगर, ग्वालियर में स्थित है। जिसमें दिनांक 01 जुलाई, 2015 को भागीदार (1) रणविजय सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह, (2) श्रीमती मीना अटारिया पत्नी श्री रामहेत अटारिया, (3) श्रीमती संध्या तोमर पत्नी श्री भूपेन्द्र तोमर तीनों भागीदार अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01 जुलाई, 2015 से सुदीप सिंह पुत्र श्री भोलासिंह, निवासी-जीएम 899, डीडी नगर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। आज्ञा एवं सर्वजन सूचित हों।

(510-बी.)

फर्म श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी,
भूपेन्द्र तोमर,
(भागीदार)
पता-ईएच 7, डीडी नगर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गैरतगंज, जिला रायसेन

फार्म-4

गैरतगंज, दिनांक 02 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1982 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष: रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.).

क्र./0001/वी-113/2018-19.—जैसा कि श्री टेकचन्द जैन आ. श्री रोशनलाल जैन, निवासी वार्ड 13, गांधी चौक के सामने गैरतगंज, जिला रायसेन मध्यप्रदेश मुख्य प्रबंध ट्रस्टी श्री सकल दिगम्बर जैन पंचायत समिति गैरतगंज, जिला रायसेन ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास 1951 की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव श्री सकल दिगम्बर जैन पंचायत समिति गैरतगंज के लोक न्यास पंजीकरण होने वाले लोक न्यास में कोई भी व्यक्ति रुचि रखने वाला कोई विरोध या सुझाव प्रकट करना चाहता है तो वह ऐसे विरोध या सुझाव को दो प्रतियों में सूचना प्रकाशन से एक माह के अंदर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक को ऐसा व्यक्ति स्वयं या किसी अधिवक्ता या अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से इस न्यायालय में नियत दिनांक 29 अगस्त, 2019 तक कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के बाद किसी भी आपत्तियों या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची-एक

1. ट्रस्ट का नाम व पता:- श्री सकल दिगम्बर जैन पंचायत समिति गैरतगंज, श्री महावीर दिगम्बर जैन धर्मशाला ब्लॉक आफिस के सामने सागर, भोपाल रोड, गैरतगंज.
2. मंदिर की सम्पत्ति का विवरण:- खसरा नं 184/1/1 मिन-1 रकबा 0.1420 स्थित ग्राम टैकापारगढी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन मध्यप्रदेश. आज दिनांक 02 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(541)

मोहिनी शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन

रा.प्र.क्र.0002/बी-113(1)/2019-20.

प्रो.क्र. /2019-20.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक लोक न्यास.

चूँकि न्यासकर्ता “सुन्नी हनफी वेलफेयर ऑफ इण्डिया ट्रस्ट, गोगावां (म.प्र.), पता-ग्राम गोगावां, तहसील गोगावां, जिला खरगोन (प. निमाड़) मध्यप्रदेश द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल संपत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
01	चल संपत्ति	बैंक ऑफ इंडिया, शाखा गोगावां में 20781/- रु. एवं आदर्श साख सहकारिता मर्या., गोगावां में 25951-/- रुपये जमा.	निरंक -
02	अचल संपत्ति	ग्राम शाहपुरा प.ह.नं. 03 तहसील गोगावां में खसरा नंबर 31/3 पैकि रकबा 0.072 हे. एवं खसरा नंबर 29/1 पैकि रकबा 0.023 हेक्टर पड़त कृषि भूमि है.	निरंक -

(542)

अभिषेक गेहलोत,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला-सतना

(प्रारूप क्र. 4)

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5(1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष.

यतः कि अल्फोन्सा कट्टीयाकारन पथ्रोस पुत्री श्री कट्टीयाकारन पथ्रोस वगै., निवासी नजरथ मिशन हाई रोड अलुआ एरनाकुलम हाल, निवासी जवाहर नगर पतेरी, नजरथ भवन, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- न्यास का नाम व पता : “ SISTERS OF NAZARETH ”
: Adress-Nazareth Bhavan Javahar Nagar,
Mahadev P.O. Pateri, Satna (M.P.).
- अचल संपत्ति : निरंक.
- चल संपत्ति : 10,000/- दस हजार रुपये.

प्रारूप-5

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक सतना के समक्ष,

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिए मैं, पी. एस. त्रिपाठी, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 24 सितम्बर, 2019 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

(543) **पी. एस. त्रिपाठी,**
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीकरण अधिकारी, श्योपुर

प्र.क्र.0001/2019-20/बी-113.

श्योपुर, दिनांक 06 अगस्त, 2019

लोक न्यासों के पंजीयक श्योपुर, जिला श्योपुर के समक्ष.

यह कि आवेदक श्री श्री अवधेश शर्मा पुत्र स्व. प्रहलाद शर्मा, निवासी बड़ोदा, जिला श्योपुर (म. प्र.) द्वारा धर्मशाला श्री महर्षि गौतम गुर्जर गौड़ ब्राम्हण समाज गोपाल चौक, वार्ड नंबर 08 बड़ोदा, जिला श्योपुर (म.प्र.) को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत सूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया गया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 18 सितम्बर, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में किया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

संबंधित सम्पत्ति की अनुसूची

अचल सम्पत्ति:- धर्मशाला भवन मुताबिक नक्शा स्थान गोपाल चौक, वार्ड नंबर 08 बड़ोदा, तहसील बड़ोदा.

चल सम्पत्ति:- निरंक.

(560) **रूपेश उपाध्याय,**
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं**कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला ग्वालियर**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

नीलकमल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. डबरा पंजीयन क्र./डी.आर/जी.डब्लू.आर./544, दिनांक 11 जुलाई, 2016 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं संस्था का निर्वाचन न कराने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2018/2402, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये दिनांक 31-12-2018 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में हो चुका है।

निर्धारित समयवधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार्य हैं।

अतः मैं अशोक कुमार शुक्ल, उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत नीलकमल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. डबरा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर.डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(544)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

औषधी फसल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाटई पंजीयन क्र./डी.आर/जी.डब्लू.आर./499, दिनांक 12 फरवरी, 2016 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं संस्था का निर्वाचन न कराने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि/2018/2396, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये दिनांक 31-12-2018 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार्य हं

अतः मैं अशोक कुमार शुक्ल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत औषधी फसल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाटई को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर. डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(545)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

भारतीय मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या. ग्वालियर पंजीयन क्र./डी.आर/जी.डब्लू.आर./512, दिनांक 12 फरवरी, 2016 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं संस्था का निर्वाचन न कराने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि/2018/2432, दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये दिनांक 31-12-2018 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार्य हं

अतः मैं अशोक कुमार शुक्ल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत भारतीय मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या. ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर.डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(546)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

प्रिया साख सहकारी संस्था मर्या. डबरा पंजीयन क्र./डी.आर/जी.डब्लू.आर./569, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 के द्वारा, संचालक सदस्यों के अक्रियाशील तथा दायित्वहीन होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने एवं संस्था का निर्वाचन न कराने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि/2018/2433, दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये दिनांक 31-12-2018 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया. उक्त सूचना-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में हो चुका है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपों के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार्य हैं

अतः मैं अशोक कुमार शुक्ल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत प्रिया साख सहकारी संस्था मर्या. डबरा को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर.डी. पचौरिया, सहकारी निरीक्षक ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(547)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्लू.आर/293, दिनांक 22 जून, 2001 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था का अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
3. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(548)

कारण बताओ सूचना-पत्र

दिनांक 06 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

अल्पआय नागरिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र.परि/2019/1397.—अल्पआय नागरिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्लू.आर/72, दिनांक 22 मई, 2013 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के

माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था का अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।
2. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
3. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(549)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्लू.आर/103, दिनांक 20 फरवरी, 1982 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(550)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वीरेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

वीरेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्ल्यू.आर/347, दिनांक 27 अगस्त, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(551)

कारण बताओ सूचना-पत्र

दिनांक 6 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रानी दुर्गावती साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि./2019/1401.—रानी दुर्गावती साख, सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्ल्यू.आर/870, दिनांक 10 जुलाई, 1997 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,

1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(552)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

जीवाजी नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

जीवाजी नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्लू.आर/41, दिनांक 16 अक्टूबर, 1966 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(553)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

लोकमान्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

लोकमान्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्लू.आर/149, दिनांक 07 फरवरी, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.

2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(554)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

अनमोल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

अनमोल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्लू.आर/712, दिनांक 30 अप्रैल, 2011 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है।
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है।
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है।

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(555)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

ओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

ओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्लू.आर/317, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(556)

कारण बताओ सूचना-पत्र

दिनांक 06 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

राजपक्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि/2019/406.—राजपक्ति गृह निर्माण, सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्लू.आर/185, दिनांक 11 जनवरी, 1985 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जा रही है.
3. कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है.
4. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार आपकी संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(557)

कारण बताओ सूचना-पत्र

दिनांक 06 अगस्त, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,

कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

क्र./परि/2019/407.—कृति गृह निर्माण, सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. DR/जी.डब्लू.आर/340, दिनांक 23 जून, 2003 है. निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकार्ड उपलब्ध न कराने से संस्था का अंकेक्षण किया जाकर संस्था को अकार्यशील "डी" वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
3. संस्था अध्यक्ष के निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका.

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(558)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

रोशन महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र/ए.आर/जी.डब्लू.आर/839, दिनांक 15 अप्रैल, 1996 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/1009 दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1009 दिनांक 29 मार्च, 2016 से श्री नरेश कुमार सगर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा अपने पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने की अनुशंसा की है. इस बावत् संस्था की आमसभा दिनांक 28 फरवरी, 2018 को आयोजित की गई. आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 28 फरवरी, 2018 से संस्था को पुर्नजीवित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि संस्था सदस्य संस्था को क्रियाशील कर सक्षम इकाई बनाकर सभी सदस्य मिलकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं संस्था की उपविधि अनुसार संस्था कार्य संचालन करेंगे.

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर परिसमापक की अनुशंसा एवं संस्था के सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था के क्रियाशीलता एवं सक्षम इकाई होने की संभावना के आधार पर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ, तथा सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ कि उक्त आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि में संस्था को क्रियाशील कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें. संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था सदस्यों की निम्नानुसार कमेटी गठित कर कार्यकारिणी समिति को नामांकित किया जाता है:-

1. श्रीमती सुमन	अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति जैन	उपाध्यक्ष
3. श्रीमती रचना	उपाध्यक्ष
4. कु. मानसी जैन	संचालक
5. श्रीमती हेमा रहेजा	संचालक
6. श्रीमती प्रगति	संचालक
7. श्रीमती रीना जैन	संचालक
8. श्रीमती आशू जैन	संचालक
9. कु. दीपा जैन	संचालक
10. कु. मुस्कान	संचालक
11. श्रीमती प्रेमाबाई	संचालक

उक्त प्रबंध कार्यकारिणी समिति को निर्देशित किया जाता है कि संस्था तीन माह के अन्दर नवीन प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल को विधिवत् आवेदन कर निर्वाचन करावें.

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

अशोक कुमार शुक्ल,
उप-पंजीयक.

(559)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/277 दिनांक 07 मार्च, 2017 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयवधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कठोरा, पंजीयन क्रमांक 1658, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राधेश्याम चौहान, उप अंकेक्षक, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(560)

खरगोन, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/277, दिनांक 07 मार्च, 2017 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धांधला, पंजीयन क्रमांक 1653, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री सोहन सिंह, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(561)

खरगोन, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/277 दिनांक 07 मार्च, 2017 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भीलगांव, पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 13 जुलाई, 1989 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारी निरीक्षक, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(562)

खरगोन, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/277 दिनांक 07 मार्च, 2017 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन

कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रूपलाझिरी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मोहन्या, पंजीयन क्रमांक 1386, दिनांक 08 जुलाई, 2004 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुये श्री शोभाराम सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक., को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-70(1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(563)

खरगोन, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/277 दिनांक 07 मार्च, 2017 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये देवी मां अन्नपूर्णा साख सहकारी समिति मर्या., खरगोन, पंजीयन क्रमांक 1884, दिनांक 10 मार्च, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री शोभाराम सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(564)

खरगोन, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/277 दिनांक 07 मार्च, 2017 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मां रेवा उत्खनन सहकारी समिति मर्या., कपास्थल, पंजीयन क्रमांक 1693, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री मनोहर वास्केले, सहकारी निरीक्षक, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(565)

खरगोन, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/277 दिनांक 07 मार्च, 2017 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मां सप्तश्रृंगी महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., खरगोन, पंजीयन क्रमांक 1527, दिनांक 27 अगस्त, 2007 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री कैलाश वास्केले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(566)

खरगोन, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/277 दिनांक 07 मार्च, 2017 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरीपाला, पंजीयन क्रमांक 1669, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारी वि. अधिकारी, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(567)

मुकेश जैन,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2019-भाद्र 8, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 2019

1. **मौसम एवं वर्षा**—प्रायः राज्य में कहीं-कहीं आकाश मेघाच्छादित रहा है. निम्न जिलों की तहसीलों की वर्षा प्रतिवेदित की गई है.
2. **प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-** ..
3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-** ..
4. **धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-** ..
5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-** ..
6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-** ..
7. **अन्य असामयक घटना से छति :-** ओला पानी गिरने से जिला छिंदवाड़ा की तहसील छिंदवाड़ा, चोरई व चाँद के 30 ग्रामों में फसलें प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **फसल स्थिति :-** राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सामान्य रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **सिंचाई:-** जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरोली, नीमच, शाजापुर, इन्दौर, बड़वानी, खण्डवा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा शिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शोष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **पशुओं की स्थिति:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. **चारा :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. **बीज:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. **खेतिहर श्रमिक :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सरसो, चना अधिक गेहूँ-कम (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा, मैथी समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों, जौ समान. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..			4. (1) गेहूँ, चना, सरसों.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..						
4. नरवर	..						
5. करैरा	..						
6. कोलारस	..						
7. पोहरी	..						
8. बैराढ़	..						
9. बदरवास	..						
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..			4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..						
4. चन्देरी	..						
5. नई सराय	..						
6. पिपरई	..						
7. शाढौरा	..						
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..			4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर,		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..			धनियां बीज समान.		चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.			
4. आरोन	..						
5. चाचौड़ा	..						
6. मकसूदनगढ़	..						
7. कुम्भराज	..						
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..			4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर,		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..			राई-सरसों अधिक. तुअर,		चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..			गन्ना कम.			
4. टीकमगढ़	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.			
5. बल्देवगढ़	..						
6. पलेरा	..						
7. खरगापुर	..						
8. मोहनगढ़	..						
9. लिधौरा	..						
10. ओरछा	..						
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..			4. (1) गेहूँ, चना, जौ अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..			(2) ..		चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..						
4. छतरपुर	..						
5. राजनगर	..						
6. बिजावर	..						
7. बड़ा मलहरा	..						
8. लवकुशनगर	..						
9. बक्सवाहा	..						
10. महाराजपुर	..						
11. चंदला	..						
12. धुवारा	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. *जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
6. देवेन्द्रनगर	..				
7. अमानगंज	..				
8. सिमरिया	..				
9. रैपुरा	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		तिबड़ा, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		गन्ना कम. आलू-प्याज		
4. सागर	..		अधिक.		
5. रेहली	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) मसूर, बटरी अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		तुअर, चना, गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..		4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		गेहूँ, चना, मसूर, सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	..		जौ कम.		
4. नागौद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		अलसी, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकूर्चिलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..			4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..			(2) तुअर बिगड़ी हुई हैं. शेष फसलें सुधरी हुई हैं		
3. जयसिंहनगर	..					
4. बुढ़ार	..					
5. गोहपारू	..					
6. जैतपुर	..					
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..			4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर अधिक. अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..			(2) तुअर, मसूर बिगड़ी हुई. अलसी समान हैं. गेहूँ, चना सुधरी हुई हैं		
3. कोतमा	..					
4. पुष्पराजगढ़	..					
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..			4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, तुअर मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. चंदिया	..					
4. नौरोजाबाद	..					
5. मानपुर	..					
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..			4. (1) अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	..					
4. कुसमी	..					
5. चुरहट	..					
6. बहरी	..					
7. रामपुरनैकिन	..					
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..			4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. गेहूँ, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..			(2) तुअर बिगड़ी हुई है. राई, अलसी समान है.		
3. सरई	..			गेहूँ, चना, जौ सुधरी हुई है.		
4. माडा	..					
5. सिंगरौली	..					
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..			4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. मल्हारगढ़	..					
4. गरोठ	..					
5. मंदसौर+दालोद	..					
6. श्यामगढ़	..					
7. सीतामऊ	..					
8. धुंधड़क्का	..					
9. संजीत	..					
10. कयामपुर	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4. (1) गेहूँ सरसों, अलसी अधिक. चना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4. (1) गेहूँ, चना कम. रावा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..			(2) ..		
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) चना अधिक. गेहूँ, मसूर, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. तराना	..					
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..			4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..			4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ, प्याज, लहसुन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. शुजालपुर	..					
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, उड़द (रबी), मूँग(रबी), चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..			4. (1) उडद(रबी), मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. पेटलावद	..					
4. झाबुआ	..					
5. राणापुर	..					
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..			4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..			(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	..					
4. सोंडवा	..					
5. उदयगढ़	..					
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	..					
7. भामरा	..					
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..			4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. गन्ना, गेहूँ अलसी, मटर, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. धार	..					
4. कुक्षी	..					
5. मनावर	..					
6. धरमपुरी	..					
7. गंधवानी	..					
8. डही	..					
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..			4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..			(2) गेहूँ सुधरी. शेष फसलें समान हैं.		
3. इन्दौर	..					
4. गौतमपुरा	..					
5. हातोद	..					
6. महू	..					
(डॉ. अम्बेडकर नगर)						
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..			4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सेगांव	..					
4. खरगौन	..					
5. गोगावां	..					
6. कसरावद	..					
7. भगवानपुरा	..					
8. भीकनगांव	..					
9. सनावद	..					
10. झिरन्या	..					
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..			4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..			(2) ..		
3. राजकोट	..					
4. सेंधवा	..					
5. पानसेमल	..					
6. पाटी	..					
7. अंजड	..					
8. बरला	..					
9. निवाली	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..			4. (1) गेहूँ, चना कम.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	..						
4. पंधाना	..						
5. हरसूद	..						
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..			4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..						
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	..						
4. ब्यावरा	..						
5. सारंगपुर	..						
6. पचोर	..						
7. नरसिंहगढ़	..						
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..			4. (1) गेहूँ, चना.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..						
4. बासोदा	..						
5. नटेरन	..						
6. विदिशा	..						
7. गुलाबगंज	..						
8. शमसाबाद	..						
9. त्यांदा	..						
10. पठारी	..						
11. ग्यारसपुर	..						
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..			तिवड़ा कम.		चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.			
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..			4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..			तुअर समान. गेहूँ, अलसी,		चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..			मटर, जौ कम.			
4. नसरुल्लागंज	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.			
5. रेहटी	..						
6. श्यामपुर	..						
7. जावर	..						
8. बुधनी	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		अधिक. गन्ना कम.		
3. बेगमगंज	. .		(2) तुअर बिगड़ी हुई शेष फसलें समान हैं.		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भैंसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, गन्ना अधिक. चना, राई-सरसों, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम. गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर, चना, राई-सरसों. गेहूँ	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..			4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, अधिक. मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	..			(2) ..		
3. करेली	..					
4. गाडरवारा	..					
5. तेंदूखेड़ा	..					
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	4.8			4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	9.3			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. बिछिया	4.5					
4. निवास	..					
5. नारायणगंज	2.7					
6. घुघरी	2.3					
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	3.0			4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बजाग	..					
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2	दिनांक 20-3-19 को ओला वृष्टि होने से तहसील छिंदवाड़ा, मोहखेड, चौरई, चांद के कुल 30 ग्रामों में खड़ी फसलों में क्षति होने की जानकारी प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	22.0			4. (1) गेहूँ सुधरी हुई, चना, मटर-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. तामिया	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. परासिया	..					
4. जूनारदेव	..					
5. सांसर	..					
6. बिछुआ	3.1					
7. अमरवाड़ा	..					
8. चौरई	..					
9. उमरठ	5.2					
10. मोहखेड	15.2					
11. हरई	..					
12. चांद	6.3					
13. पांडुर्णा	..					
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सिवनी	..			4. (1) ..	5. ..	8. ..
2. बरघाट	..			(2) ..		
3. कुरई	..					
4. केवलारी	..					
5. लखनादोन	..					
6. छपारा	..					
7. धनोरा	..					
8. घंसोर	..					
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..			4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..			(2) गेहूँ समान.		
3. किरनापुर	..					
4. बैहर	..					
5. वारासिवनी	..					
6. कटंगी	..					
7. लालबर्वा	..					
8. तिरोडी	..					
9. परसवाड़ा	..					
10. बिरसा	..					
11. खैरलाँजी	..					

टीप.-*जिला पन्ना, बैतूल व सिवनी से पत्रक अप्राप्त है.

ओ. पी. बाथम,
प्रभारी सहायक आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(540)